Regarding the issue of increasing leopard attacks in some regions of Maharashtra

डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे (शिरुर) : सभापति महोदय, मैं अपने चुनाव क्षेत्र और महाराष्ट्र के कई इलाकों से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा ।

मेरा चुनाव क्षेत्र हो, नासिक जिला हो या सतारा जिला हो, इन क्षेत्रों में तेंदुआ यानी लेपर्ड की समस्या बहुत गंभीर है । सिर्फ मेरे चुनाव क्षेत्र के अंतर्गत जुन्नर फारेस्ट डिवीज़न में तेंदुए की तादाद लगभग 1200 से 1500 है । अब तक लगभग 60 जानें गयी हैं और आये दिन किसी न किसी पर तेंदुए का हमला होता रहता है, जिनमें ज्यादातर छोटे-छोटे बच्चे होते हैं । कभी तीन साल के बच्चे, कभी पांच साल के बच्चे, कभी सात साल के बच्चे तेंदुए का शिकार होते हैं और इससे बचने के लिए मेरी सदन से मांग है कि वन्य जीव अधिनियम 1972 का जो कानून है, उसमें सुधार लाया जाये, जिसमें लेपर्ड को शेड्यूल 1 से निकालकर शेड्यूल 2 में लाया जाये ।

यही प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार ने भी केंद्र सरकार के पास भेजा है । उस प्रस्ताव पर त्वरित कार्रवाई हो और साथ में मास लेवल पर लेपर्ड रिलोकेशन करते हुए कम से कम एक हज़ार लेपर्ड को वनतारा जैसी जगह पर रिलोकेट किया जाये । हमारे इलाके के बच्चों का बचपन और किसानों का सुकून वापस लौटाया जाये । यही मेरी सदन से मांग है ।